

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20, 1977/श्रावण 29, 1899

No. 360]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20, 1977/SRAVANA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

(Copyright Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August 1977

S.O. 622(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby appoint Shri Ch. Ramakrishna Rao, Joint Secretary and Legal Adviser in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs), as member of the Copyright Board vice Shri B. S. Sekhon. Shri Ch. Ramakrishna Rao shall hold office for the remaining term of the Board which is to expire on 23rd September, 1980 or till the date he holds his present office in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, whichever date is earlier.

[No. F. 4-11/76-CO]

D. N. MISRA,
Joint Educational Adviser.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1977

का० आ० 624 (अ)/ई० (सी) ओ, 1977/एएम (13) —आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है —

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तेरहवां संशोधन आदेश 1977 की मज्ञा दी जाये ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'ख' में मद संख्या 10 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी ।

“10क अंडे ”

3 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खुला सामान्य लाइसेंस—3 में मद संख्या 4 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी .—

(1)	(2)	(3)	(4)
4क.	अंडे	ख-10क	40 00 (चालीस) रुपए प्रति 100 की संख्या जहाज पर्यन्त निशुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त के अधीन निर्यात की अनुमति ।

[सं० फा० 23 5 77-ई. 1]

का० वें० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

बड़ा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977